झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–176 वर्ष 2017

सिस्टर वर्जीनिया लकड़ा उर्फ सिस्टर वर्जीनिया, पुत्री–स्वर्गीय साइमन लकड़ा, साकिन –अंबाओ टोली, महुआडांड़, डाकघर एवं थाना–महुआडांड़, जिला–लातेहार, वर्तमान में उर्सुलिन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल, डाकघर, थाना एवं जिला–खुंटी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य, सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विकास विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना–धुर्वा, जिला–रांची के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना–धुर्वा, जिला–रांची।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, खुंटी, डाकघर, थाना एवं जिला–खुंटी।
4. सचिव, उर्सुलिन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल, खुंटी, जिसका अपना कार्यालय खुंटी, डाकघर एवं थाना–खुंटी, जिला–खुंटी में है।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री अभय मिश्रा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री राधा कृष्ण गुप्ता, जी0पी0–VI का जे0सी0

4/दिनांकः13वीं फरवरी, 2017

1. तत्काल रिट आवेदन में, याचिकाकर्त्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ देय राशि पर अनुपयुक्त छुट्टी के लिए छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए उत्तरदाताओं को

रिट/निर्देश के लिए प्रार्थना की है क्योंकि सेवानिवृति के बाद भी याचिकाकर्त्ता को इसका भुगतान नहीं किया गया है।

2. तथ्य, जैसा कि रिट आवेदन में खुलासा किया गया है, यह है कि याचिकाकर्त्ता को वर्ष 1988 में उर्सुलिन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल, खुंटी में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और 30.11.2015 को सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत हो गई थी। जिस स्कूल से याचिकाकर्त्ता सेवानिवृत हुई है, वह सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूल है और विचाराधीन स्कूल के कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत लाभों के भुगतान की दिशा में सभी खर्च सरकारी खजाने से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित और निधित किया जा रहा है।

3. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्त्ता की शिकायत बहुत संकीर्ण कम्पास में निहित हैं और डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 506, 509 और 512 वर्ष 2013 में पारित इस न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह से आच्छादित है। जहां तक छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए मुद्दा है, याचिकाकर्त्ता एक सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूल का सेवानिवृत कर्मचारी है और यह मुद्दा अनिर्णीत विषय नहीं है, मरियत तिर्की बनाम झारखंड राज्य और अन्य में पारित इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर जो (2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465) में रिपोर्ट की गई और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या (एस) 20606–20607/2014 में दिनांक 15.12.2014 के निर्णय के द्वारा पुष्टि किया गया।

तद्नुसार, याचिकाकर्त्ता को छुट्टी नकदीकरण राशि के भुगतान के लिए दिए गए निर्णय के मद्देनजर रिट याचिका का निपटान किया जा सकता है।

5. उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि गैर–सरकारी अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक को देय अवकाश नकदीकरण से संबंधित उपरोक्त मुद्दा जो मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा तय किया गया है और इसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है।

6. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका को, याचिकाकर्त्ता के संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि देने के मामले में याचिकाकर्त्ता की ओर से अभ्यावेदन के साथ आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश देते हुए, निस्तारण किया जाता है।

7. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(श्री प्रमाथ पटनायक, न्याया0)